इन्टरमीडिएट परीक्षा, १९७८ (हस्तलिखित: [illegible])

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

दिनांक ... [illegible] 1978

कक्षा .... —

संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षार्थी ... कुमारी [illegible] ... अनुक्रमांक 181323 (?)

द्वारा परिषद् की इण्टरमीडिएट की परीक्षा, १९७८ में प्राप्तांकों का विवरण वर्ग .... [illegible]

विषय जो प्राप्त किये गये विषय	विषय के निर्धारित अंक	प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	योगांक	क्रियात्मक	वाणिज्य प्रथम: आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी	वाणिज्य प्रथम: टंकण — सिद्धान्त	वाणिज्य प्रथम: टंकण — क्रियात्मक	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: द्वितीय प्रश्न-पत्र	आशुलिपि हिन्दी/अंग्रेजी: योगांक	वाणिज्य द्वितीय — टंकण हिन्दी अंग्रेजी: प्रथम प्रश्न-पत्र	द्वितीय प्रश्न-पत्र	तृतीय प्रश्न-पत्र	चतुर्थ प्रश्न-पत्र	योगांक	विषय योग
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
[illegible]	100	15	21	12	48													48
भौ० वि०	100	19	12	—	31	23												54
रसा० वि०	100	15	12	—	27	29												56
[illegible]	100	22	11	12	45													45
[illegible]	100	12	16	24	52													52

पूर्णाप्तांक (शब्दों में) दो सौ पचपन अंकों में 255

श्रेणी (प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुत्तीर्ण)	कृपांक	विशेष योग्यता	यदि सम्मान सहित उत्तीर्ण है तो यहाँ उल्लेख कीजिये	क्या पूरक परीक्षा का अधिकारी है ? यदि हाँ, तो विषय	क्या निःशुल्क अंकानुसन्धान का अधिकारी है ?
द्वितीय	—	—	—	—	—

नोट :—प्राप्तांक के आधार पर परीक्षाफल का निर्णय ठीक हुआ है अथवा नहीं इसकी जाँच परीक्षार्थी नीचे नियम के आधार पर स्वयं भी कर लें और यदि कोई त्रुटि हो तो प्रधानाचार्य / केन्द्र व्यवस्थापक से तुरन्त सम्पर्क स्थापित करके उसका निराकरण करा लें अन्यथा भूल सुधार में विलम्ब हो सकता है, जो परीक्षार्थी के लिये अहितकर होगा। परिषद् कार्यालय में जाँच के फलस्वरूप यदि कोई त्रुटि पाई जायगी तो उसकी सूचना प्रधानाचार्य/केन्द्र व्यवस्थापक को दी जायगी और वे सम्बन्धित परीक्षार्थी को इसकी सूचना देंगे।

परीक्षाफल सम्बन्धी नियम

(१) प्रत्येक विषय के न्यूनतम उत्तीर्णांक ३३ प्रतिशत हैं। जिन विषयों में क्रियात्मक परीक्षा होती है। उनमें लिखित तथा क्रियात्मक परीक्षा के लिये अलग-अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित हैं।

(२) उत्तीर्ण होने के लिये निर्धारित न्यूनतम अंक से कम नहीं चाहिए। निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम होने पर, प्राप्तांक वृत्त के भीतर किये जाते हैं।

(३) किसी विषय में ७५ प्रतिशत अंक पाने पर विशेष योग्यता मिलती है, सम्पूर्ण योग का ७५ प्रतिशत प्राप्तांक होने पर, सम्मान सहित उत्तीर्ण घोषित होता है।

(४) प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने के लिये प्राप्तांक योग सम्पूर्ण निर्धारित अंकों का क्रमशः ६०, ४५ एवं ३३ प्रतिशत होना चाहिये।

(५) यदि कोई परीक्षार्थी सम्पूर्ण परीक्षा में सम्मिलित हुआ है तथा वह केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण है तो वह उस विषय में पूरक परीक्षा का अधिकारी होगा।

(६) पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले सभी परीक्षार्थी स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी नहीं होंगे। केवल वे परीक्षार्थी जो केवल एक विषय में २८ प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर अनुत्तीर्ण घोषित किए गए हैं वे पूरक परीक्षा के अधिकारी घोषित होने के साथ ही साथ स्वतः परिनिरीक्षण के अधिकारी होंगे। इनकी उत्तर पुस्तकों का अंकानुसन्धान निःशुल्क होगा।

(७) केवल एक विषय में अधिक से अधिक ५ प्रतिशत अंक से अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की उत्तर-पुस्तकों का अंकानुसन्धान निःशुल्क किया जायगा।

बनाने वाले का हस्ताक्षर ....

जाँच कर्ता के हस्ताक्षर ....

[कृपया पृष्ठ उलटिये]

Principal

[illegible] Prasad Girls' Inter College

ALLAHABAD